1-4-24

पत्रावली पेश हुई। अभाव पत्र अप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 10-6-24 को पेश हो।

रीडर

10.6.24 पत्रावली पेश हुई तहसीलदार अलवर रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली वास्ते आदेश दि० 11.6.24 को पेश होवे।

उपखण्ड [illegible]कारी
अलवर

11.6.24 पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखकर जरिये खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/01	01.02.2023	136 LR Act	11.06.2024

बउनवान

1–मुमताज अहमद पुत्र श्री रफीक अहमद उर्फ अमीखां, जाति मेव निवासी ग्राम नौरंगाबाद तहसील अलवर जिला अलवर (राज०)

प्रार्थी

बनाम,

1– राजस्थान राज्य तहसीलदार साहब, अलवर लैण्ड होल्डर, तहसील अलवर जिला अलवर राज०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुन्दर्जे खाता संख्या नया 61 में दर्ज आराजी हाल खसरा नंबर 02, 21, 24, 25, 26, 27, 79, 09 किता 8 रकबा 1.96 है0 में से 1/16 हिस्सा, मुन्दर्जे खाता संख्या नया 60 में दर्ज आराजी हाल खसरा नंबर 2/957 रकबा 40 ऐयर में से 1/16 हिस्सा तथा मुन्दर्जे खाता संख्या नया 59 में दर्ज आराजी हाल खसरा नंबर 05, 06, 07, 78, 83 किता 05 कुल रकबा 0.94 है0 में से 1/16 हिस्सा वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील अलवर जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त आराजी हम प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है उक्त आराजीयात पर प्रार्थी बतौर सहकाश्तकार खातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उपरोक्त आराजीयात सहकाश्तकारों के मध्य व किसी दीगर शख्स से भी किसी तरह का कोई वाद–विवाद नहीं है आराजीयात के राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम कहीं अमी खां उर्फ रफीक अहम, कहीं पर अमीर खाँ तो कहीं अभी खाँ दर्ज किया हुआ है तथा हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम अमीखां दर्ज हो रहा है प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम रफीक अहमद पुत्र हिम्मत खान अंकित है तथा उनके आधार कार्ड तथा प्रार्थी स्वयं के

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों भी प्रार्थी के पिता का नाम रफीक अहमद ही अंकित है यह कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता के नाम में भिन्नता के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है तथा प्रार्थी के हक हकूक भी जायल होकर खतरे में पड़ने का अन्देशा रहता है। इसलिए प्रार्थी ने राजस्व कैम्प प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 ग्राम भण्डवाड़ा में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख में शुद्ध कराने का निवेदन किया था। जिस पर तहसीलदार साहब ने पटवारी हल्का भण्डवाड़ा को जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु आदेशित किया। जिस पर पटवारी हल्का ने जांच की तथा अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी का 1/16 हिस्सा अंकित होने एवं हाल जमाबन्दी में नाम नामा. संख्या 557 विरासत दि० 05.03.2021 के आधार पर अंकन होने तथा राजस्व अभिलेख मुताबिक प्रार्थी के पिता के नाम में भिन्नता की पुष्टि की है तथा प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम रफीक अहमद होना अंकित किया है तथा यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी के पिता को अम्मी व अमीर खां के नाम से भी जाना जाता है तथा रफीक अहमद, अमीखां व अमीर खां पिता हिम्मत जाति मेव एक ही व्यक्ति के नाम पाये गये हैं। उक्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर प्रस्तुत है उपरोक्त प्रकार से विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम अलग अलग अंकित किए हुए हैं, जिससे प्रार्थी को नुकसान होता है। इसलिए प्रार्थी समस्त राजस्व रिकॉर्ड ताहाल में जहां जहां भी प्रार्थी के पिता का नाम रफीक अहमद, अमीर खां, अमीखां दर्ज है, उसेदुरूस्त कराते हुए रफीक अहमद उर्फ़ अमीखां दर्ज करवाने का अधिकारी है श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के बावजूद राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता के नाम की दुरूस्ती नहीं की गई है तथा प्रार्थी ने इस संबंध में जब पटवारी हल्का से सम्पर्क कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि न्यायालय के आदेश से दुरूस्ती हो सकती है। जिस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है विवादित आराजी ग्राम नौरंगाबाद तहसील अलवर जिला अलवर राज० में स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के श्रवण योग्य है।

आराजीयात मुन्दर्जे खाता संख्या 56, 60 व 61 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील अलवर जिला अलवर के समस्त राजस्व रिकॉर्ड ताहाल में प्रार्थी के पिता का नाम जहां जहां रफीक अहमद, अमीर खां व अमीखां अंकित है, वहां वहां रफीक अहमद उर्फ अमीखां दर्ज कर दुरूस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें। अन्य उचित आज्ञा बहक प्रार्थी सादिर की जावे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट मे अंकन किया है कि प्रार्थी मुताबिक हाल आनलाईन जमाबंदी वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील अलवर के खाता संख्या 59 में दर्ज ख0न0 05/0.23, 06/0.01,

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

07/0.36, 78/0.15, 83/0.19 अफसाना बानो पुत्री अमीखाँ हि. 1/16, जसालूदीन पुत्र हिम्मत राहिन आईडीबीआई बैंक अलवर हि. 1/4, मुमताज अहमद पुत्र अमीखाँ हि. 1/16, शाहबुदीन पुत्र हिम्मत हि. 1/4, सरजीत पुत्र हिम्मत राहिन पीएनबी शाखा चॉदोली हि. 1/4, सायना बानो पुत्री अमीखों हि. 1/16, सायरा पत्नि स्व० अमीखाँ हि. 1/16 जाति मेव सा. देह खातेदारान, खाता संख्या 60 में दर्ज ख0न0 2/957 रकबा 0.40 अफसाना बानी पुत्री अमीखाँ हि. 1/16, जमालूदीन पुत्र हिम्मत राहिन आईडीबीआई बैंक अलवर हि. 1/4, मुमताज अहमद पुत्र अमीखा हि, 1/16, शाहबुदीन पुत्र हिम्मत हि. 1/4, सरजीत पुत्र हिम्मत हि. 1/4, सायना बानो पुत्री अमीखा हि. 1/16, सायरा पत्नि स्व० अमीखां हि. 1/16 जाति मेव सा. देह खातेदारान तथा खाता 61 में दर्ज ख0न0 02/0.23, 21/0.11, 24/0.20, 25/0.11, 26/0.20, 27/0.22, 79/0.15, 09/0.74 अफसाना बानो पुत्री अमीखाँ हि. 1/16, जमालूदीन पुत्र हिम्मत राहिन आईडीबीआई बैंक अलवर हि. 1/4, मुमताज अहमद पुत्र अमीखाँ हि, 1/16, शाहबुदीन पुत्र हिम्मत राहिन एसबीआई शाखा दिलावरपुर हि. 1/4, सरजीत उर्फ सद्दीक अहमद पुत्र हिम्मत राहिन पीएनबी शाखा चाँदोली हि. 1/4, सायना बानो पुत्री अमीखां हि. 1/16, साय़रा पत्नि स्व० अमीखाँ हि. 1/16 जाति मेव सा. देह खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी उक्त खाता संख्या 59, 60 व 61 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील अलवर में अपने पिता का नाम अमीरखां, अमीखां के स्थान पर रफीक अहमद उर्फ अमीखां दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहता है प्रासांगिक पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है जिसमें मृतक का नाम रफीक अहमद पुत्र हिम्मत खान दर्ज है तथा संलग्न आधार कार्ड की प्रति में भी रफीक अहमद पुत्र हिम्मत खान दर्ज है मुताबिक नामा० संख्या 141 दिनांक 13.09.1977 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील अलवर कन्हैयालाल पुत्र बाराराम खत्री द्वारा आराजी ख0न0 06 रकबा 18 बिस्वा, 07 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 26 बीघा 14 बिस्वा एवं 29 बीघा 12 बिस्वा का बेचान जयें पंजीकृत बैयनामा जमालूदीन, साहबूदीन, अमीखां (प्रार्थी के पिता) सरजीत पुत्रान हिम्मत जाति मेव खरीददार खातेदार के नाम अमल आया मुताबिक मिसल बन्दोबस्त संवत 2051–70 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील अलवर उक्त खसरा नम्बरान खाता संख्या 33 पर जमालूदीन, साहबूदीन, अमीखां सरजीत पुत्रान हिम्मत जाति मेव खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थी के पिता अभीखाँ पुत्र हिम्मत (मुताबिक राजस्व रिकार्ड) के निधन के पश्चात प०ह० भण्डवाडा तहसील अलवर द्वारा जयें नामा० संख्या 557 अमीखां पुत्र हिम्मत जाति मेव की विरासत दर्ज की गई जिसमे क्रम० संख्या 01 में वर्णित खाता संख्या 59, 60, 61 में दर्ज आराजीयात पर अमीखां पुत्र हिम्मत के वारिसान अफसाना बानो (पुत्री), मुमताज अहमद (पुत्र) सायना बानो (पुत्री) तथा सायरा पत्नि स्व० पिता अमीखां जाति

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

मेव के नाम दर्ज हो कर दिनांक 05.03.2021 को ग्राम पंचायत भण्डवाड़ा द्वारा स्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रार्थी के दादा हिम्मत पुत्र शादी की मृत्यु हो जाने पर प०ह० भण्डवाडा तहसील अलवर द्वारा विरासत की जाँच करने पर जर्ये नामा० संख्या 600 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील अलवर मृतक हिम्मत पुत्र शादी के वारिसान के नाम नामा० खाता संख्या 207, 208 में दर्ज किया गया जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम रफीक अहमद दर्ज किया जा कर दिनांक 20.07.2023 को ग्राम पंचायत भण्डवाडा द्वारा स्वीकार किया गया। मुताबिक रिपोर्ट दैनिक डायरी जाँच दिनांक 25.09.2023 वाके ग्राम नौरंगाबाद प०ह० भण्डवाडा तहसील अलवर मौके पर जानकारी करने पर जाहिर आया कि रफीक अहमद, रफीक अहमदखाँ एवं अमीखाँ एक ही व्यक्ति के नाम है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी के पिता रफीक अहमद है अतः राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजीयात पर प्रार्थी के पिता का नाम रफीक अहमद किया जाना उचित है प्रार्थी उक्त खाता संख्या 59, 60 व 61 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील अलवर में अपने पिता का नाम अमीरखां, अमीखां के स्थान पर रफीक अहमद उर्फ अमीखां दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहता है जो भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा शुद्विकरण के लिये उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे वाछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट एंव अभिशंषा से भी होता है रिपोर्ट/रिकार्ड अनुसार खाता संख्या 59, 60 व 61 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील अलवर में पिता का नाम अमीरखां, अमीखां के स्थान पर रफीक अहमद उर्फ अमीखां दर्ज किये जाने के कम मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 मे पोषणीय होने के कारण प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि खाता संख्या 59, 60 व 61 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील अलवर में अमीरखां, अमीखां के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

रफीक अहमद उर्फ अमीखां दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 11.6.24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

Scanned with OKEN Scanner